बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

का०आ०सं०–03/SBM-1-21/2016 ....98..................न०वि० एवं आ०वि०/पटन दिनांक– ...21-3-17...

कार्यालय आदेश

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत Individual Toilet तथा Community Toilet के निर्माण में वित्तीय सुगमता हेतु वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर राशि के आवंटन की नई प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इस हेतु ICICI बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य स्तर पर एवं नगर निकाय स्तर पर Mother-Child Account की स्थापना की जा रही है।

2. सभी शहरी स्थानीय निकायों को भी निर्देशित किया गया है कि ICICI बैंक में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खाता खोलें, जो कि Child Account के रूप में कार्यरत रहेगा। राज्य स्तर पर Mother Account में राशि रखी जाएगी। किसी भी नगर निकाय में Individual Toilet के निर्माण हेतु लाभुक को Child Account से RTGS के माध्यम से राशि हस्तांतरित किया जाएगा और Mother Account से उक्त राशि हस्तांतरित होकर ICICI बैंक के संबंधित शाखा को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह किसी भी नगर निकाय में अतिरिक्त राशि अवशेष नहीं रहेगा तथा धीमी गति से काम करने वाले नगर निकायों में सरकार की निधि फंसी नहीं रहेगी।

3. जहाँ तक उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रश्न है, जैसे ही जितनी राशि किसी नगर निकाय द्वारा RTGS के माध्यम से लाभुकों को हस्तांतरित की जाती है, नई राशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित नगर निकाय, विभाग को प्रेषित करेगा और सभी नगर निकायों की उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित कर एकसाथ विभाग के स्तर से महालेखाकार को भेजकर समायोजन कराया जाएगा।

4. Mother Account ICICI बैंक में खोल दिया गया है एवं अधिकांश नगर निकायों द्वारा भी ICICI बैंक में खाता खोला गया है, जिन नगर निकायों द्वारा अभी तक खाता नहीं खोला गया है, वे अविलंब खाता खोलें और PFMS पर रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि कारगर ढंग से यह व्यवस्था लागू हो एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण का कार्य द्रुत गति से करते हुए पूरे राज्य को ODF घोषित कराया जाय।

21/3/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–03/SBM-1-21/2016 ..767........./न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– ..21-3-17..

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2017

प्रधान सचिव

office order (21.03.17) DK